न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी संख्या 08 / 14 तारीख दायरा 01.12.2014

गुरमुखसिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी चक 59 एफ ए त0 श्रीकरणपुर

बनाम

1. राम करण पुत्र छोगा राम जाति बिश्नोई नि0 56 एफ ए
2. उप तहसीलदार श्री करणपुर

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार श्रीकरणपुर
दिनांक 15.06.2005

उपस्थितः–
1. श्री ओम प्रकाश बतरा एडवोकेट
2. श्री जरनैल सिंह दुरना एडवोकेट

।। निर्णय ।। दिनांक 12/6/2018

1. सक्षेंप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार श्री करणपुर दिनांक 15.06.2005 इस आश्य की पेश की गई कि अपीलांट के नाम चक 59 एफ ए मुरब्बा नम्बर 3–19 में रकबा खातेदारी दर्ज है। मु0 नं0 30 में किला नम्बर 19–20–9–10–11–12 में शमशान, जोहड़ तथा मंदिर बनाये हुए है। रकबा पर काबिज काश्त नहीं है। राम चन्द्र द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर श्री गंगानगर के समक्ष पेश किया तथा गलत तथ्य पेश कर रकबा अपने नाम से अलाट करवा लिया राम चन्द्र के कोई औलाद नहीं थी। उसकी मृत्यु के पश्चात रैस्पो0 द्वारा कब्जा करने की कोशिश की तो इस बात की जानकारी 15.04.16 को हुई। रकबा राज नहीं था तो उक्त रकबा अलाट नहीं किया जा सकताथा न ही इन्तकाल तस्दीक किया जा सकता था। रैस्पोडेंट द्वारा गलत ब्यान करके आदेश पारित करवा लिया गया। इन्तकाल करने से पूर्व किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। इन्तकाल संख्या 157 खारिज फरमाया जाये।

2. अपील पेश होनेपर दर्ज रजिस्टर की गई व रैस्पो0 को सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पो. की ओर से श्री जरनैल सिंह एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। अपीलांट के सुयोग्य अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि अपीलांट के नाम चक 59 एफ ए मुरब्बा नम्बर 3–19 में रकबा खातेदारी दर्ज है। मु0 नं0 30 में किला नम्बर 19–20–9–10–11–12 में शमशान, जोहड़ तथा मंदिर बनाये हुए है। रकबा पर काबिज काश्त नहीं है। राम चन्द्र द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर श्री गंगानगर के समक्ष पेश किया तथा गलत तथ्य पेश कर रकबा अपने नाम से अलाट करवा लिया राम चन्द्र के कोई औलाद नहीं थी। उसकी मृत्यु के पश्चात रैस्पो0 द्वारा कब्जा करने की कोशिश की तो इस बात की जानकारी 15.04.16 को हुई। रकबा राज नहीं था तो उक्त रकबा अलाट नहीं किया जा सकता था न ही इन्तकाल तस्दीक किया जा सकता था। रैस्पोडेंट द्वारा गलत ब्यान करके आदेश पारित करवा लिया गया। इन्तकाल करने से पूर्व किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। इन्तकाल संख्या 157 खारिज फरमाया जाये।

4. इसके विरोध में लायक वकील रैस्पो. का कथन है कि 18.06.71 को अपील में दर्ज भूमि राम चन्द्र पुत्र हरदास राम को आवंटित थी राम चन्द्र अविवाहित था। अपीलांट न तो प्रभावित पक्षकार है न ही अपील करने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता),
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

अधिकारी है। जिला कलक्टर श्री गंगानगर का आदेश अंतिम हो चुका है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय हाजा को आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपील खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा इन्तकाल संख्या 157 दिनांक 15.06.2005 को चुनौति दी गई है सिवाय चक आराजी राज रकबा खसरा संख्या 30 तादादी 4.553 हैक्टेयर बारानी जिला कलक्टर श्री गंगानगर के आदेश सीजी/रीडर/स्थाई आवंटन /71/523 दिनांक 18.06.71 द्वारा राम चन्द्र पुत्र हरदास जाति बिश्नोई निवासी 59 एफ के नाम आवंटित की गई है। उक्त आदेशों की पालना में इन्तकाल हाजा दर्ज कर तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा चक 59 एफ के मु0नं0 30 के किला नम्बर 19—20—9—10—11—12 की हद तक अपील की गई है व कहा है कि इस भूमि में शमशान, जोहड़, मंदिर तथा मढियां बनाई हुई हैं उक्त रकबा का आवंटन नहीं किया जा सकता। वकील अपीलांट द्वारा व्यक्त किया गया कि अलाटमेंट निरस्त करने हेतु जिला कलक्टर के आवंटन आदेश निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष अपील कर रखी है। जिसमें स्थगन आदेश है व तारीख पेशी 18.07.2018 नियत है।

6. चूँकि प्रस्तुत अपील इन्तकाल संख्या 157 के विरूद्ध की गई है और अपीलाधीन इन्तकाल जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1971 की पालना में किया गया है। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में विचाराधीन है अतः इन्तकाल के खिलाफ उक्त अपील स्वीकार्य नहीं है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर ([illegible]),
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner